



2026:AHC:15725

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1965 सन् 2026

श्रीमती भूरी देवी और 4 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आलोक कुमार श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है:

क) परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को प्रतिवादी संख्या 4, 5 और 6 को अतिक्रमण करने से रोकने का निर्देश दिया जाए। गाटा संख्या 174 वाली लगभग 1.533 हेक्टेयर भूमि, जो ग्राम बूजपुर मान, सिरसाखेड़ा, जिला मुरादाबाद में स्थित है, पर अतिक्रमण उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1950 की धारा 176 के तहत मामले संख्या 39/92-83 "जयपाल बनाम महेन्द्र सिंह और अन्य" में दिनांक 09-08-1999 को पारित आदेश के अनुसरण में किया गया है।

2. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता निजी व्यक्तियों के विरुद्ध राहत चाहते हैं, जो रिट के अधिकार क्षेत्र में नहीं दी जा सकती। इस संबंध में कानून सर्वविदित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है और उचित उपाय सामान्य कानून के अंतर्गत आता है।

3. इस स्थिति को देखते हुए, वर्तमान याचिका को इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि यदि उचित हो तो सामान्य कानून के तहत उपाय का लाभ उठाया जा सकता है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"